

19⁸/₂₅

पत्रावली घेश। पार्थी व वकील पार्थी
को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात्
भी पार्थी व वकील पार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं आये। अतः पार्थी
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
RTA अधिनियम हाजरी अधिनियम पैरवी
में खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दासारासगढ़